न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

R 171-PBR-17

अशोक पिता रतनलाल जैन
निवासी–राजगढ़ तह. सरदारपुर जिला धार .....**निगरानीकर्ता**

बनाम

1. चिमनलाल पिता स्व. रतनलाल जैन
   आयु 66 वर्ष, धन्धा–व्यापार, निवासी–1/13 संस्कृति पार्क
   डॉ. आर.एस. भंडारी मार्ग, रेसकोर्स रोड़ इन्दौर म0प्र0
   निवासी–जवाहर मार्ग राजगढ़ जिला धार म0प्र0
2. राजमल पिता स्व. रतनलाल जाति जैन
   आयु 66 वर्ष, धन्धा–व्यापार
   निवासी–जवाहर मार्ग राजगढ़ जिला धार म0प्र0
3. कैलाश पिता स्व. रतनलाल जी जाति जैन
   आयु 72 वर्ष, धन्धा–व्यापार, निवासी–225 जवाहर मार्ग
   राजगढ़ तह. सरदारपुर जिला धारम0प्र0
4. राजूबाई पिता स्व. रतनलाल जी पति इंदरमल जैन
   आयु 69 वर्ष, धन्धा–कुछ नहीं, निवासी–राजोद
   तह. सरदारपुर जिला धार म0प्र0
5. मंजुबाई पिता स्व. रतनलाल जी पति स्व. सुरेन्द्र कुमार जी
   जाति–जैन, आयु 52 वर्ष, निवासी–श्री गुरू राजेन्द्र वस्त्रालय
   मेन बाजार, कुक्षी जिला धार म0प्र0 .....**विपक्षीगण**

श्री ... द्वारा आज दि. 9.1.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

09/01/17

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 मुजब एवं स्वमेव अधिकारों का उपयोग कर मूल न्यायालय की विधि विरूद्ध परवर्स अधिकारों के परे कार्य को देखते हुए सुपरवीजन पावर में प्रकरण निगरानी में ली जाकर सहायता प्रदान करने बाबद ज्ञापन निगरानी

मान्यवर महोदय,

सेवा में, निगरानीकर्ता का विनम्र अर्ज है कि ग्राम दलपुरा तह. सरदारपुर जिला धार में स्थित भूमि सर्वे 671/1/1 रकबा 0.209 हे. व सर्वे नं. 671/3/1 रकबा 0.011 हे. व सर्वे नं. 671/3/2/2 रकबा 0.207 हे. सर्वे क्रमांक 672/2 रकबा 0.111 हे. , सर्वे क्रमांक 672/3 रकबा 0.032 हे. व सर्वे नं. 673/1 रकबा 0.209 हे., सर्वे नं. 673/2 रकबा 0.031 हे. , सर्वे नं. 674/1 रकबा 0.378 हे., सर्वे नं. 675/1 रकबा 0.067 हे. , सर्वे नं. 676/2/1 रकबा 0.272 हे, कुल सर्वे नं. 10 रकबा 2.323 हेक्टेयर संपूर्ण भूमि स्व. रतनलाल जी की होकर स्व. रतनलाल जी अपने हक की भूमि जो उनकी स्वयं की थी जो ग्राम दलपुरा तह. सरदारपुर की थी । उक्त भूमि उन्होनें स्वयं ने याने रतनलाल पिता दीपचंद जैन ने पूर्णयार्थ कय की थी

निरन्तर.....

स्व. रतनलाल जी ने समस्त कृषि भूमि दिनांक 27/12/2006 को एक वसीयतनामा मुझ निगरानीकर्ता जो मूल प्रकरण में आपत्तिकर्ता था उसके हित में निष्पादित कर दी, उक्त वसीयतनामे में प्रार्थी स्वयं को सारे तथ्यों की जानकारी है, उसकी मौजूदगी में है दिनांक 07/08/2009 को इस संबंध में उसने अभिस्वीकृति भी दी है इन सारे तथ्यों की जानकारी चिमनलाल को थी इसलिये उसने स्व. रतनलाल जी की मृत्यु पर अपना हक नहीं बताया ना जताया, यकायक उसने कोई आज्ञप्ति जैसा वह माननीय न्यायालय को बताता है, जताता है दिनांक 21/03/2016 को ली हो तो वह व्यर्थ है, यह सारे तथ्य उसकी जानकारी में है ये सब छिपाकर स्वयं की स्वीकृति छिपा कर स्वयं स्व. रतनलाल जी जो उक्त भूमि के एकल मालिक थे अभिलिखित स्वामी है और उनके हक में रजिस्टर्ड डीड था यह चिमनलाल को मालुम था जिस बाबद मुझे जानकारी मिलते ही मैनें यथाकथित आज्ञप्ति को विधिवत रेग्युलर कोर्स में अपर जिला महोदय सरदारपुर के यहां की जिसकी जानकारी अशोक कुमार को है हम जानकारी देते है यूं भी विधि से जिस आज्ञप्ति का जिक चिमनलाल कहता है वह अन्दर चैलेंज है डिस्पुडेट है अंतिमता लिये हुए नहीं है ऐसी दशा में चिमनलाल को कोई कार्यवाही नहीं करना चाहिये उसे अपील की बता बतानी थी उसे स्व. रतनलाल द्वारा लिखे गये परमार्थ वसीयत जो मेरे हक में लिखी जिसमें सारे तथ्य है वह बताना था उसे यह भी बताना था कि वह स्वयं स्व. रतनलाल के द्वारा किये गये परमार्थ के लिये किये गये वसीयत और फिर बाद में स्वयं चिमनलाल ने खुलेआम अन्य विपक्षीयों की मौजदूगी में यह तथ्य स्वीकार किया ताकि वह स्वयं भी अपने पिता की इच्छा का सम्मान रखे उसके वारिस रखे इसलिये दिंनांक 07/08/2009 को एक लिखित अभिस्वीकृति उसने दी है जो आप भी कायम है आज्ञप्ति हुई तब भी कायम थी उसे स्वयं को कायम रखना होगी विधि है यह सब बातें हमने कहीं है सबकी तामिल नहीं हुई है कभी भी अन्य लोगों ने इंकार नहीं किया और इंकार मेरी ओर से हुआ तो फिर स्वत्व का प्रश्न है विरोध है जो 3 माह तक प्रकरण स्थिगित रखना होगा दिनांक 07/12/2016 को प्रकरण पेश हुआ और 07/12/2016 ही तारीख आईन्दा लिखी तो उस गलती को सुधारने के लिये 07/12/2016 को काटकर दिनांक 21/11/2016 कही गई है जिसमें संक्षिप्त हस्ताक्षर भी संबंधित तहसीलदार महोदय पीठासीन अधिकारी के नहीं है हासिये में नोटिस जारी का उल्लेख नहीं है लेकिन 1 माह के अन्दर, 15 दिन के अन्दर इश्तेहार जारी का उल्लेख भी हासिया आर्डरशीट में नहीं है और एक पक्षीय कर दिया और जवाब को भी लिख

निरन्तर.....3

दिया फिर दिनांक 12/12/2016 को प्रकरण में 15/12/2016 लगा दी जब तक इश्तेहार की अवधि हो गई ऐसा उल्लेख नहीं है चस्पा हुई इसका उल्लेख नहीं है । दिनांक 15/12/2016 को मेरे द्वारा जवाब का समय चाहा, दिनांक 22/12/2016 को राजमल नें आपत्ति प्रस्तुत की , दिनांक 22/12/2016 को शामिल मिसल है यह सब लिख दिया हमने एक आपत्ति दिनांक 22/12/2016 को की और प्रकरण कमांक 1/2016–17/अ–27 में दिनांक 22/12/2016 को जो मेरी आपत्ति प्रस्तुत हुई है जो मिसल में है तो भी मुझे कंटेस्टिव निगरानीकर्ता की आपत्ति प्रस्तत हुई इसका जिक नहीं है उल्लेख तक नहीं किया और

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 171–पीबीआर/17 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–10–2017	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक कमांक 1 की ओर से श्री पी.के. तिवारी, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक कमांक 4 की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक तहसील न्यायालय के जिस अन्तरिम आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, उसमें तहसील न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश पारित कर दिया गया है । अतः यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	